

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

393
2021

प्रशासन गांवों के संग कैंप 2021

विषय:- ग्राम दिकरिया की जमाबंदी के खाता सं० 167 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्ती करने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

Reader

8

11/10/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम दिकरिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 167 में
मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से काना दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जाति खाना है।

अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

पं०
प्रार्थी

hcms
2021/1149

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम दिकरिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 167 पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति काना दर्ज है। प्रार्थी ने शम्भु पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति खाना
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी (प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति खाना दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति खाना दर्ज किये जाने की अभिशंका
की जाती है।

दिकरिया
हस्ताक्षर पटवारी

दिकरिया
हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैंप द-दवाड

क्रमांक 48

दिनांक 11.10.21

रिपोर्ट पटवारी हल्का दिकरिया भू०अ०नि० वृत्त द-दवाड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शम्भु पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम दिकरिया की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 167 में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से खाना दर्ज किये जाने
की अभिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

दिकरिया
तहसीलदार (भू०अ०नि०)
दूनी जिल्हा-टोंक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैंप/21

क्रमांक

दिनांक:-

Tak Dooni ki Abhisankashtasarak gram dikrियाकला जमाबंदी
संवत् 2071-74 के खाता संख्या 167 में मेरे काना के स्थान पर
खाना दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करके हेतु अद्यतन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)